उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-22/2020/एस-2-809/दस-2020-88क(13)/2017टी0सी0-1
लखनऊ :: दिनाँकः: 03 जून 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है।
1	2	3
1	श्री शिव सिंह, अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।
2	श्री सिद्धार्थ कुमार गौतम, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, बरेली मण्डल, बरेली।
3	श्री अवनीश चन्द्र द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, हथकरघा निदेशालय, कानपुर।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4	श्रीमती अंजू सिंह संत, अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद, मेरठ मण्डल, मेरठ।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-22/2020/एस-2-809(1)/दस-2020, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, हथकरघा निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ/आजमगढ/बरेली/कानपुर।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

8- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक कोषागार।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।